तत्पश्चात मंत्री, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. गिलान पाड़ा, वार्ड नं0 12 श्री प्रेम रजक द्वारा एकरारनामा दाखिल किया गया एवं अनुज्ञप्ति मंत्री, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. गिलान पाड़ा के नाम से निर्गत किया गया। चुँकि दिनांक 19.04.1992 की बैठक में प्रेम रजक को ही मंत्री चुना गया था। अनुज्ञप्ति की नवीकरण हेतु चलान द्वारा जमा शुल्क की चलान प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चलान में भी "प्रेम रजक, मंत्री, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. गिलान पाड़ा" के नाम से अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्ति अपीलकर्त्ता के पति प्रेम रजक के व्यक्तिगत नाम से निर्गत नहीं है बल्कि अनुज्ञप्ति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के नाम से निर्गत है जिसका मंत्री अपीलकर्त्ता के पति प्रेम रजक थे।

निम्न न्यायालय के संचिका में उपलब्ध DUPLICATE अनुज्ञप्ति की प्रति जो दिनांक 05.08.2015 को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के पति को निर्गत किया गया है के अवलोकन से स्पष्ट होता है अनुज्ञप्ति सं0 17/92 प्रेम रजक (अपीलकर्त्ता के पति) के नाम से निर्गत है। इस अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2016 के लिये ही अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा किया गया है। प्रेम रजक द्वारा वर्ष 2015 में व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु चलान जमा किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस परिस्थिति में प्रेम रजक को व्यक्तिगत नाम से DUPLICATE अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है तथा इसका नवीकरण हेतु चलान द्वारा नवीकरण शुल्क प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में इस पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर ही निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार कर उचित आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 13/2016–17

शीला देवी ..... अपीलकर्ता

बनाम्

सरकार ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

31/01/2017 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 13/2016–17 शीला देवी, पति स्व0 प्रेम रजक गिलानपाड़ा, दुमका बनाम् सरकार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका जो अनुमंडल कार्यालय, आपूर्ति शाखा के पत्रांक 652/अनु0आ0 दिनांक 14.10.2019 द्वारा अपीलकर्त्ता को भेजा गयाा है, के विरूद्ध में दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति सं0 17/92 अपीलकर्त्ता के पति स्व0 प्रेम रजक के व्यक्तिगत नाम से निर्गत है। उनके नाम से अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु चलान द्वारा नवीकरण शुल्क आदि जमा किया गया है। इस अनुज्ञप्ति से प्राथमिक उपभोक्ता भंडार लिमिडेड का कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्ता के पति के मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा अपने नाम से अनुकम्पा के आधार पर नियमानुसार ज.वि.प्र.वि. का अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

निम्न न्यायालय के संचिका में पारित आदेश एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया है कि झारखंड सरकार रांची के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्राप्त संकल्प के ज्ञापांक 1380 दिनांक 13.05.2014 के क्रमांक 02 के कंडिका IV में स्पष्ट उल्लेख है कि बी.पी.एल. महिला स्वयं सहायता समूह या अन्य किसी भी सामुहिक संगठन जिन्हें जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति प्राप्त है, को अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुकम्पा का लाभ किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं होगा। निम्न न्यायालय के संचिका में अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु पारित आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि "प्र0आ0पदा0, दुमका के अनुशंसानुसार प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गिलान पाड़ा वार्ड नं0 12 के नाम से ज.वि. प्र.वि. के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किया जा सकता है।